राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन सं. 35/2017/जोधपुर
2. रेक्टिफिकेशन सं. 36/2017/जोधपुर
3. रेक्टिफिकेशन सं. 37/2017/जोधपुर
4. रेक्टिफिकेशन सं. 38/2017/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स तोषनीवाल ईम्पैक्स प्रा.लि., जोधपुर .....अप्रार्थी

5. रेक्टिफिकेशन सं. 39/2017/जोधपुर
6. रेक्टिफिकेशन सं. 40/2017/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स यूनिवर्सल ईम्पैक्स, जोधपुर .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से
श्री एन.एम.मेडतिया, अभिभाषक .....व्यवसायी की ओर से

दिनांक : 20.11.2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवसायी द्वारा ये रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 24.01.2017 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या	कर बोर्ड की अ.सं.	कर बोर्ड की क्रॉस आब्जेक्शन संख्या	कर बो. का नि. दि.	वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील सं. एवं आदेश दि.	कर निर्धा. अधि. का आ.दि.	राजस्व द्वारा प्रस्तुत रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या	कर बोर्ड के आदेश जिसके द्वारा रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये हैं।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35/17	1666/12	2024/12	06.08.15	2005–06	39/30.03.12	29.03.10	69/17	24.01.17
36/17	1667/12	2025/12	06.08.15	2006–07	40/30.03.12	29.03.10	70/17	24.01.17
37/17	1668/12	2026/12	06.08.15	2007–08	41/30.03.12	29.03.10	71/17	24.01.17
38/17	1669/12	2027/12	06.08.15	2008–09	42/30.03.12	29.03.10	72/17	24.01.17
39/17	1670/12	2028/12	06.08.15	2004–05	43/30.03.12	29.03.10	73/17	24.01.17
40/17	1671/12	2029/12	06.08.15	2005–06	44/30.03.12	29.03.10	74/17	24.01.17

2. प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक से रखी जावें।

3. बहस विद्वान उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक व्यवसायी की ओर से रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर क्रॉस ऑब्जेक्शन्स रेस्टोर करने हेतु निवेदन किया। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

लगातार.....2

4. उभयपक्ष बहस पर मनन किया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरणों में राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1666/2012 से 1671/2012 राजस्थान कर बोर्ड, की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 06.08.2015 द्वारा प्रभाव शून्य मानकर खारिज की गयी थी जिसमें यह माना गया कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। कर बोर्ड के समक्ष राजस्व की ओर से रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 52/15 से 57/15 इस आधार पर प्रस्तुत हुए कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में अभी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित नही हुआ है जिससे अपीलें प्रभाव शून्य नहीं मानी जा सकती। माननीय खण्डपीठ ने निर्णय दिनांक 24.01.2017 द्वारा रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अपील संख्या 1666/12 से 1671/12 को पुनः नम्बर पर सुनवाई हेतु लिया है। अपील संख्या 1666/12 से 1671/12 जो राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गई थी, के विरूद्ध क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 2024/2012 से 2029/2012 व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा अपील संख्या 1666/12 से 1671/12 के साथ–साथ क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 2024/2012 से 2029/2012 भी प्रभाव शून्य मानकर खारिज किये गये हैं। रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ले ली गई है परन्तु क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 2024/2012 से 2029/2012 पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर नहीं लिये गये हैं जिनके सम्बन्ध में व्यवसायी द्वारा रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 35/2017 से 40/2017 प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि अपील संख्या 1666/12 से 1671/12 पुनः नम्बर पर ली गई है तो इनसे संबंधित क्रॉस आब्जेक्शन 2024/2012 से 2029/2012 साथ ही पुनः सुनवाई हेतु लिये जाने चाहिए थे जबकि आदेश दिनांक 24.01.2017 में इन क्रॉस आब्जेक्शन्स को सुनवाई हेतु नम्बर पर नहीं लिया गया है जो रेकार्ड पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली त्रुटि है। अतः रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 2024/12 से 2029/12 नम्बर पर लिये जाते हैं।

5. प्रार्थी व्यवसायी की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि व्यवसायी मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स का नाम निर्णयों में मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स प्रा0 लि0 अंकित हो गया है जबकि सही नाम मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स ही है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.03.2010 अवधि 2005–06 व अवधि 2004–05 में करदाता का नाम मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स अंकित है जिससे करदाता का नाम संशोधित किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के निवेदनानुसार निर्णय 24.01.2017 में **"मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स प्रा0 लि0"** के स्थान पर **"मैसर्स यूनिवर्सल इम्पेक्स"** पढ़ा जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य